



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273052
CG-DL-E-01062026-273052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2675]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2675]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2768(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की अनुसूची V [तालिका: क्रमांक 7] के नोट 5(डी)(ii) के साथ पठित धारा 11(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उन व्यवसायों (उक्त अनुसूची के नोट 5(डी)(i) में निर्दिष्ट व्यवसायों के अतिरिक्त) को, जो अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में उल्लिखित अवसंरचना उप-क्षेत्रों में संलग्न हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फा.सं.13/1/2025-आईपीपी, दिनांक 19 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित है, उक्त अधिनियम की अनुसूची V [तालिका: क्रमांक 7] के प्रयोजनों के लिए व्यवसाय के रूप में निर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं. 70/2026/फा. सं. 500/विविध/एस10(23एफई)/एफटी एंड टीआर-II]

श्यामा सजी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

S.O. 2768(E).— In exercise of the powers conferred by section 11(5) read with Note 5(d)(ii) of Schedule V [Table: Sl. No. 7] of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby specifies the business (other than the business specified in Note 5(d)(i) of the said Schedule), which is engaged in the infrastructure sub-sectors mentioned in the Updated Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number F.No.13/1/2025-IPP, dated the 19th September, 2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, as a business for the purposes of Schedule V [Table: Sl. No. 7] of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 70/2026/F. No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

SYAMA SAJI, Under Secy.